

VS-116

04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई-मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वाँ तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ.53(34) / अता. / ता प्र.सं.116/ द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग-2022/ दिविस/ श.वि./1354-56 दिनांक: 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:- दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित प्र. स.116.... माननीय
विधायक श्री.....परण..... गोयल..... दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्घृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वाँ तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ सहित।

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
९वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री शिव चरण गोयल

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अंतारांकित प्रश्न संख्या : 116

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार की कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे-छोटे प्लाट काट कर दुकानें/ऑफिस/शोरूम इत्यादि बनाने की कोई योजना हैं; और	औद्योगिक विभाग:- इस संबंध में यह प्रेषित है कि कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में से सिर्फ कीर्तिनगर पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स (फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेस) ही डी.एस.आई.आई.डी.सी. के कार्यक्षेत्र में आता है। शेष कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के अंतर्गत आता है। अतः मांगी हुई जानकारी के संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ही उचित जानकारी दे सकता है। वर्तमान में डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में किसी दुकान/ दफ्तर/ शोरूम के लिए नए प्लॉट आबंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
ख	कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में वर्तमान समय में कितने प्लाट पर छोटे-छोटे प्लाट काट कर बनाए जा रहे हैं, पूर्ण विवरण दें ?	दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस. /2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)


Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

७५

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

रा. ४५६ ५(३) / मिसा / २०१५ / पी एंड सी / टीपुरा / ७६९

दिनांक : २ अगस्त, २०१८

श्री संदीप मिश्रा,

विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
७वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

१०/८/१८

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के ७वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक ०७/०६/२०१८ को
उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

DS-PC

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक ०९/०७/२०१८ के अपने पत्र रा. ४५६ ५३
(यू.एस.क्यू.) / बजार रोशनी-सैकंड- जून-२०१८ / दिल्ली अर्सेवली / यू.डी. / डी ७१५ ७१६ को
अवलोकन करें। जिसकी संदर्भ सं ४५६.यू.एस.क्यू./बजार रोशनी II जून २०१८/दिल्ली
अर्सेवली/यू.डी./डी ६९८३-४३(यू.एस.क्यू.-८०), ६९२५ ३४ (क्यू.एस.क्यू. ७८), ६९७७ ८०(यू.एस.
क्यू. ८९) तथा ६९०१ ६९०४ (यू.एस.क्यू. ७०) दिनांक २९/०५/२०१८ तथा अनुपूरक फरवरी
डी ७०६६ रो ७०६८ दिनांक १३/०६/२०१८ है, जिसके द्वारा रांविंग विषय पर उत्तर तैयार
करने के लिए विभाग की उपर्युक्त रामगढ़ी प्रेषित करने के लिए कहा गया था।


इस संबंध में, यह बताया जाता है कि रांविंग के अनुच्छेद २३९ ए ए (३) (क) के
अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आगे वाले केरी गी मामले के
रांविंग में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की
प्रविष्टि १, २ तथा १८ से रांविंग हैं तथा सूची की प्रविष्टि ६४, ६५ तथा ६६ रो कुछ हुद तक
रांविंग हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि १, २ तथा १८ रो संविधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात्
प्रविष्टि १, २ तथा १८ में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की
शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके आतेरिका, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संवालन के नियम २९ में शही वार्णन
हैं कि प्रश्नों की विषय, सामग्री प्रशासन के मामलों रो संविधित होनी चाहिए। जिसके लिए
सरकार उत्तरदायी है।

१०

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षण विषय पर कोई प्रश्न रवीकार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में राष्ट्रा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य गंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की गूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्रम प्राधिकारी के अनुमोदन रो जारी किया जाता है।


(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव